भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3602

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एचएमपीवी का प्रसार

3602. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोरोना वायरस के बाद मानव मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) नामक एक नया रोग भी विश्व और भारत में फैल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के किसी भाग में इसकी मौजूदगी पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रोग के लिए कोई उपचार उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की उक्त बीमारी के उपचार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): मानव मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) 2001 से विश्व भर में मौजूद है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के आंकड़े देश में कहीं भी इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई)/गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (एसएआरआई) के मामलों में किसी भी असामान्य वृद्धि का संकेत नहीं देते हैं और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) प्रहरी निगरानी डेटा द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। आईडीएसपी पोर्टल पर दिनांक 6 जनवरी 2025 से दिनांक 27 फरवरी 2025 की अवधि के दौरान देश भर में 90 एचएमपीवी मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) और (घ): एचएमपीवी कई श्वसन वायरस में से एक है जो सभी उम्र के लोगों में खासतौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत के महीनों के दौरान संक्रमण का कारण बन सकता है। इसके लक्षणों में खांसी, बहती नाक, बुखार, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शामिल हो सकती है। वायरस का संक्रमण आमतौर पर हल्का और स्व-सीमित सीमा में होता है और अधिकांश मामले अपने आप ठीक हो जात हैं।

(ङ): केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एचएमपीवी मामलों के प्रसार की निगरानी और नियंत्रण तथा एचएमपीवी लक्षणों और रोकथाम कार्यनीतियों के बारे में अभियानों के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करने के लिए कई विशिष्ट उपाय किए हैं। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुलग्नक में संलग्न हैं।

*****

अनुलग्नक

"एचएमपीवी के प्रसार" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3602 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

- एचएमपीवी स्थिति की नियमित निगरानी के लिए दिनांक 6 जनवरी, 2025 से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र (पीएचईओसी) सक्रिय किया गया है। संबंधित हितधारकों को दैनिक स्थिति रिपोर्ट (सिटरेप) साझा की जाती है।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सतर्क रहने और अस्पताल में भर्ती एसएआरआई मामलों के श्वसन नमूनों को सकारात्मक नमूनों के परीक्षण और अनुक्रमण के लिए नामित वायरस अनुसंधान और निदान प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) में भेजने की सलाह दी गई है।

- भारत में इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) और इन्फ्लूएंजा की गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (एसएआरआई) के लिए आईसीएमआर और आईडीएसपी नेटवर्क दोनों के माध्यम एक मजबूत निगरानी प्रणाली पहले से ही से मौजूद है।

- राज्यों को सलाह दी गई है कि वे वायरस के संक्रमण की रोकथाम के बारे में लोगों के बीच सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और जागरूकता बढ़ाएँ, जैसे कि साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना; बिना धुले हाथों से अपनी आँखें, नाक या मुँह को छूने से बचना; ऐसे लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना जिनमें बीमारी के लक्षण दिख रहे हों; खाँसते और छींकते समय मुँह और नाक को ढकना आदि।

- सरकार ने पूरे देश में तैयारी का अभ्यास किया और यह सुनिश्चित किया कि स्वास्थ्य प्रणाली श्वसन संबंधी बीमारियों में मौसमी वृद्धि से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है।

- सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, संयुक्त निगरानी समूह के स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं और भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति और एचएमपीवी मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। हितधारकों में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डीजीएचएस, राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और अधिकारी, एकीकृत रोग निगरानी मंच (आईडीएसपी), एनसीडीसी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) और आईडीएसपी की राज्य निगरानी इकाइयों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

- राज्यों को आईएलआई/एसएआरआई निगरानी को मजबूत करने और उसकी समीक्षा करने की सलाह दी गई है।

*****